Innovation and Integrative Research Center Journal
ISSN: 2584-1491 | www.iircj.org
Volume-4 | Issue-6 | June-2026 | Page 76-81

संविधान में प्रदत्त विधिक अधिकारों के प्रति असंगठित महिला श्रमिकों की जागरूकता

[1]कचरा भोई, [2]डॉ. विवेक मल्लिक
[1]शोध छात्रा, [2]शोध निर्देशक
[1,2]विधि संकाय कलिंगा विश्वविद्यालय, नया रायपुर छत्तीसगढ़

शोधपत्र का सार

असंगठित महिला श्रमिकों के संरक्षण के लिए भारत में विभिन्न श्रम एवं सामाजिक सुरक्षा कानून बनाए गए हैं। समान पारिश्रमिक, न्यूनतम मजदूरी, मातृत्व लाभ, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित कार्यस्थल तथा यौन उत्पीड़न से संरक्षण उनके प्रमुख विधिक अधिकार हैं। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य असंगठित महिला श्रमिकों में इन कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना है। अध्ययन में शिक्षा, आर्थिक स्थिति, कार्य का प्रकार, सरकारी योजनाओं से संपर्क तथा सामाजिक संगठनों से जुड़ाव को जागरूकता के प्रमुख निर्धारकों के रूप में देखा गया है। विधिक अधिकारों की जानकारी महिलाओं को शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।

मुख्य शब्द: असंगठित महिला श्रमिक, विधिक अधिकार, श्रम कानून, जागरूकता, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण।

प्रस्तावना

भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा केवल संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों तक सीमित नहीं है। संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए विभिन्न श्रम एवं सामाजिक सुरक्षा कानून महिलाओं को रोजगार, मजदूरी, मातृत्व, स्वास्थ्य, सुरक्षा, गरिमा तथा सामाजिक सुरक्षा से संबंधित व्यावहारिक संरक्षण प्रदान करते हैं। असंगठित महिला श्रमिकों के लिए इन विधिक अधिकारों का महत्व विशेष रूप से अधिक है, क्योंकि वे अक्सर ऐसे रोजगार में कार्य करती हैं जहाँ नियुक्ति–पत्र, नियमित वेतन, सामाजिक सुरक्षा और शिकायत निवारण की औपचारिक व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती। वर्तमान सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में असंगठित श्रमिक की परिभाषा में home–based worker, self–employed worker तथा unorganised sector में wage worker को शामिल किया गया है।[1] इस दृष्टि से असंगठित महिला श्रमिकों में कृषि मजदूर, घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक, सड़क विक्रेता, बीड़ी श्रमिक, हस्तशिल्प कार्यकर्ता, घरेलू उत्पादनकर्ता और विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों से जुड़ी महिलाएँ आती हैं।

Innovation and Integrative Research Center Journal
ISSN: 2584-1491 | www.iircj.org
Volume-4 | Issue-6 | June-2026 | Page 76-81

विधिक अधिकारों की अवधारणा

विधिक अधिकार वे अधिकार हैं जिन्हें संविधान, संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के माध्यम से मान्यता और संरक्षण प्राप्त होता है। महिला श्रमिकों के लिए विधिक अधिकारों का क्षेत्र व्यापक है। इसमें समान मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी, मातृत्व लाभ, सुरक्षित कार्यस्थल, यौन उत्पीड़न से सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा दुर्घटना से संरक्षण जैसे विषय शामिल हैं।

समान पारिश्रमिक का अधिकार

महिला श्रमिकों के लिए समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। असंगठित क्षेत्र में महिलाओं को कई प्रकार के कार्यों के लिए पुरुषों की तुलना में कम भुगतान मिलने की शिकायतें देखी जाती रही हैं। Code on Wages, 2019 ने मजदूरी से संबंधित केंद्रीय कानूनों को एकीकृत किया और समानता तथा मजदूरी संबंधी प्रावधानों को व्यापक कानूनी ढाँचे में रखा।[2] इस अधिकार के प्रति जागरूक महिला अपने कार्य और भुगतान की तुलना कर सकती है तथा भेदभाव की स्थिति में उचित शिकायत व्यवस्था का उपयोग कर सकती है।

न्यूनतम मजदूरी का अधिकार

असंगठित महिला श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी एक महत्वपूर्ण विधिक अधिकार है। कृषि, निर्माण, घरेलू सेवा तथा अन्य अनौपचारिक गतिविधियों में कार्यरत महिलाओं के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की जानकारी होना आवश्यक है। जागरूकता के अभाव में श्रमिक कम मजदूरी स्वीकार कर सकती है अथवा अपने वास्तविक कानूनी अधिकार का दावा नहीं कर पाती।

मातृत्व लाभ का अधिकार

महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व संरक्षण विशेष महत्व रखता है। डंजमतदपजल ठमदमपिज ।बज, 1961 ने पात्र महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ प्रदान करने का महत्वपूर्ण आधार तैयार किया। बाद में सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में maternity benefit के लिए विस्तृत प्रावधान शामिल किए गए हैं। संहिता में maternity benefit, miscarriage leave, nursing breaks और crèche facility जैसे विषयों पर प्रावधान हैं।[3]

हालाँकि यह समझना आवश्यक है कि प्रत्येक असंगठित महिला को स्वतः समान रूप से इन सभी लाभों का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता; पात्रता संबंधित कानूनी प्रावधानों और योजना के दायरे पर निर्भर करती है। यही कारण है कि महिला श्रमिकों में कानून की वास्तविक जानकारी आवश्यक है।

Innovation and Integrative Research Center Journal
ISSN: 2584-1491 | www.iircj.org
Volume-4 | Issue-6 | June-2026 | Page 76-81

सामाजिक सुरक्षा का अधिकार

असंगठित महिला श्रमिकों की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक सामाजिक सुरक्षा का अभाव रहा है। बीमारी, दुर्घटना, वृद्धावस्था, मातृत्व अथवा रोजगार समाप्त होने की स्थिति में उनकी आय प्रभावित हो सकती है।

Code on Social Security, 2020 में असंगठित श्रमिकों के लिए विशेष अध्याय है। इसमें `बीमउमे वित unorganised worker, registration तथा helpline और facilitation centre जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं।[4]

इसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में लाने के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करना है।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा

असंगठित महिला श्रमिकों के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013 महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करता है। घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक, खेतिहर महिलाएँ, छोटे प्रतिष्ठानों में काम करने वाली महिलाएँ और अन्य अनौपचारिक श्रमिक भी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के जोखिम का सामना कर सकती हैं। इसलिए उन्हें यह जानकारी होना आवश्यक है कि अनुचित व्यवहार, यौन टिप्पणियाँ, अवांछित स्पर्श अथवा अन्य प्रकार का लैंगिक उत्पीड़न स्वीकार करना उनकी मजबूरी नहीं है।

दुर्घटना एवं क्षतिपूर्ति

निर्माण, कृषि, लघु उद्योग तथा अन्य क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को दुर्घटना का जोखिम हो सकता है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में employment injury और compensation से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं।[5] महिला श्रमिक को यह जानकारी होना आवश्यक है कि कार्य से संबंधित दुर्घटना की स्थिति में उपलब्ध कानूनी एवं सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाओं का उपयोग कैसे किया जा सकता है।

असंगठित श्रमिक का पंजीकरण

सामाजिक सुरक्षा संहिता में असंगठित श्रमिकों के तमहपेजतंजपवद की व्यवस्था का प्रावधान है।[6] व्यावहारिक रूप से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिक की पहचान और पंजीकरण महत्वपूर्ण हो सकता है। e–Shram जैसी व्यवस्थाओं ने असंगठित श्रमिकों की पहचान एवं राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिला श्रमिकों में पंजीकरण संबंधी जागरूकता बढ़ाना सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच के लिए आवश्यक है।

Innovation and Integrative Research Center Journal
ISSN: 2584-1491 | www.iircj.org
Volume-4 | Issue-6 | June-2026 | Page 76-81

घरेलू महिला श्रमिकों के अधिकार

घरेलू कामगार असंगठित महिला श्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे घरों में सफाई, खाना बनाने, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की सेवा तथा अन्य कार्य करती हैं। कई मामलों में उनका रोजगार मौखिक समझौते पर आधारित होता है। ऐसी महिलाओं को मजदूरी, कार्य समय, अवकाश, सम्मानजनक व्यवहार तथा हिंसा एवं उत्पीड़न से सुरक्षा संबंधी अधिकारों की जानकारी होना आवश्यक है।

निर्माण क्षेत्र की महिला श्रमिक

निर्माण कार्य में महिला श्रमिक बड़ी संख्या में मजदूरी करती हैं। उन्हें भारी वजन उठाने, धूल, धूप, मशीनरी और दुर्घटना के जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। निर्माण श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था और कल्याण बोर्डों का महत्व इसलिए अधिक है कि इनके माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, मातृत्व, दुर्घटना सहायता आदि से संबंधित कल्याणकारी योजनाएँ उपलब्ध हो सकती हैं।

सड़क विक्रेता महिलाओं के अधिकार

सब्जी, फल, खाद्य पदार्थ और अन्य वस्तुओं की बिक्री करने वाली महिलाओं के लिए Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 महत्वपूर्ण कानून है। यह कानून सड़क विक्रेताओं की आजीविका और नियमन से संबंधित व्यवस्था प्रदान करता है। महिला विक्रेता यदि अपने अधिकारों और स्थानीय निकाय की प्रक्रिया से परिचित हो तो वह विस्थापन या उत्पीड़न की स्थिति में उपलब्ध कानूनी उपायों का उपयोग बेहतर ढंग से कर सकती है।

विधिक जागरूकता के स्तर को प्रभावित करने वाले कारक

असंगठित महिला श्रमिकों की कानूनी जागरूकता पर अनेक सामाजिक–आर्थिक कारकों का प्रभाव पड़ता है—

शिक्षा: पढ़ी–लिखी महिला सरकारी दस्तावेज, आवेदन और कानूनों को समझने में अपेक्षाकृत सक्षम हो सकती है।

आय: अत्यंत गरीब महिला के लिए अधिकारों की जानकारी होने के बावजूद उन्हें लागू कराने की क्षमता सीमित हो सकती है।

डिजिटल साक्षरता: वर्तमान समय में अनेक सरकारी सेवाएँ डिजिटल माध्यम से उपलब्ध हैं। मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग कानूनी जानकारी प्राप्त करने में सहायक हो सकता है।

Innovation and Integrative Research Center Journal
ISSN: 2584-1491 | www.iircj.org
Volume-4 | Issue-6 | June-2026 | Page 76-81

स्वयं सहायता समूह: SHG महिला श्रमिकों को सामूहिक जानकारी और सामाजिक समर्थन प्रदान कर सकते हैं। सरकारी विभागों से संपर्करू पंचायत, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और सामाजिक सुरक्षा संस्थाओं से संपर्क जागरूकता बढ़ा सकता है।

विधिक जागरूकता और सशक्तिकरण

कानूनी जागरूकता महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण उपकरण है। यदि महिला को पता है कि उसे न्यूनतम मजदूरी, समान पारिश्रमिक, मातृत्व संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल पर गरिमा का अधिकार है, तो उसके शोषण की संभावना कम हो सकती है। विधिक जागरूकता महिला को केवल अधिकार बताने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उसे यह भी बताया जाना चाहिए कि अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में शिकायत कहाँ करनी है, किस अधिकारी से संपर्क करना है, कौन–से दस्तावेज आवश्यक हैं और निःशुल्क कानूनी सहायता कहाँ से प्राप्त की जा सकती है।

छत्तीसगढ़ के संदर्भ में

छत्तीसगढ़ में असंगठित महिला श्रमिकों की बड़ी संख्या ग्रामीण और परिवार–आधारित आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी है। PLFS 2023–24 में ग्रामीण महिला श्रमिकों में 74.2 प्रतिशत स्वरोजगार श्रेणी में और 67.1 प्रतिशत household enterprise में helper थीं।[7] इस प्रकार छत्तीसगढ़ में विधिक जागरूकता का कार्यक्रम केवल कारखाना श्रमिकों तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसे खेतिहर महिलाओं, वनोपज संग्राहकों, घरेलू कामगारों, निर्माण श्रमिकों, स्वयं सहायता समूहों, छोटे व्यापारियों और परिवार आधारित उद्यमों से जुड़ी महिलाओं तक पहुँचाना आवश्यक है।

जागरूकता बढ़ाने के उपाय

- ग्राम पंचायत स्तर पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएँ।
- महिला स्वयं सहायता समूहों को कानूनी अधिकारों का प्रशिक्षण दिया जाए।
- स्थानीय भाषा में सरल कानूनी पुस्तिकाएँ तैयार की जाएँ।
- श्रम विभाग द्वारा महिला श्रमिक सहायता केंद्रों को मजबूत किया जाए।
- मोबाइल आधारित कानूनी जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
- श्रमिक पंजीकरण में महिला की स्वतंत्र पहचान सुनिश्चित की जाए।
- निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी जाए।
- पंचायत प्रतिनिधियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रारंभिक कानूनी जानकारी दी जाए।
- महिला श्रमिकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र सरल बनाया जाए।

ISSN: 2584-1491 | www.iircj.org
Volume-4 | Issue-6 | June-2026 | Page 76-81

- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और पात्रता की जानकारी नियमित रूप से दी जाए।

निष्कर्ष

असंगठित महिला श्रमिकों के लिए विधिक अधिकारों की जानकारी सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। संविधान महिलाओं को समानता और गरिमा का आधार प्रदान करता है, जबकि श्रम एवं सामाजिक सुरक्षा कानून इन संवैधानिक मूल्यों को व्यावहारिक रूप देने का प्रयास करते हैं। Code on Social Security, 2020 में असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, पंजीकरण और सुविधा केंद्रों की व्यवस्था का कानूनी आधार दिया गया है।[8] इसी प्रकार मजदूरी, मातृत्व, कार्यस्थल सुरक्षा और लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित कानून महिलाओं के श्रम अधिकारों को मजबूत करते हैं।

अतः असंगठित महिला श्रमिकों की विधिक जागरूकता को महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक न्याय के व्यापक कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बनाया जाना चाहिए। केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है; कानून की जानकारी, उस तक पहुँच और उसके प्रभावी क्रियान्वयन की क्षमता भी महिला श्रमिक को प्राप्त होनी चाहिए।

संदर्भ स्रोत

[1] Government of India] Code on Social Security] 2020] Section 2¼85½&¼86½-

[2] Government of India] Code on Wages] 2019-

[3] Government of India] Code on Social Security] 2020] Chapter VI] Sections 59&73-

[4] वही, Chapter IX तथा Sections 109] 112 ,वं 113-

[5] वही, Chapter VII] Employees* Compensation-

[6] वही, Section 113] Registration of unorganised workers-

[7] MoSPI, Periodic Labour Force Survey, Annual Report 2023&24-

[8] Government of India] Code on Social Security, 2020] Chapter IX-